

rfc

राजस्थान वित्त निगम

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

H.O. : Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, JAIPUR-302005

Ref.No.RFC / एफ.आर../मुख्या./पोलिसी-28 | 178

Dated : 18.06.2013

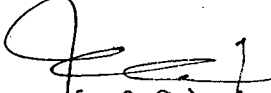
परिपत्र

(एफ.आर.क्रमांक: 713)

विषय — निगम अधिकारियों द्वारा शाखा कार्यालयों व वित्तीय सहायता प्राप्त इकाइयों के निरीक्षण बाबत।

राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग व उद्योग विभाग द्वारा प्रशासन में कार्य कुशलता व त्वरित गति से कार्य सम्पादन करने के उद्देश्य से पूर्व में निगम द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: आरएफसी/ए एण्डआई दिनांक 05.03.2013 का अवलोकन करें जिसमें सभी संबंधित उप महाप्रबन्धक (आपरेशन)/शाखा प्रबन्धक/उप शाखा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए थे कि वे प्रत्येक माह के अंत में उनके द्वारा किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट निर्दिष्ट प्रारूप में महाप्रबन्धक (आपरेशन्स) को परीक्षण हेतु भिजवायें ताकि महाप्रबन्धक (आपरेशन्स) के द्वारा निगम प्रबन्ध को उपलब्धियों से अवगत कराया जा सके।

इसके साथ-साथ पी.जी.की अनुसूची संख्या: एफआर(5)3/3 का भी अवलोकन करें जिसमें निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयों के निरीक्षण के प्रावधान निर्देशित किए गये हैं परन्तु यह देखने में आया है कि उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः भविष्य में उक्त निर्देशों के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर महाप्रबन्धक (आपरेशन्स) को प्रतिमाह भिजवाना सुनिश्चित करें।


कार्यकारी निदेशक

प्रतिलिपि —

1. समस्त उप महाप्रबन्धक(आपरेशन)
2. समस्त शाखा/उप शाखा प्रबन्धक
3. महाप्रबन्धक(आपरेशन्स)
4. स्टेण्डर्ड सर्कुलेशन, मुख्यालय